प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर पुनर्गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 तथा राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 तथा वेतन समिति (1997-99) /मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित अर्धशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-1806/दस-2001-44/2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 एवं अर्धशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-26/दस-2005-44/2001, दिनांक 14 जनवरी, 2005 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में के0जी0एम0यू0, लखनऊ में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों (कैशियर, सहायक कैशियर, सहायक लेखाकार तथा लेखाकार) के लिये दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. कैशियर वेतनमान रू0 4000-6000/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 (लेखा लिपिक के समकक्ष पद) के 03 पदों को दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान रू0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) में रखा जाये।
2. सहायक लेखाकार के 09 पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- के स्थान पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से उच्चीकृत /संशोधित वेतन बैण्ड-1 एव्र ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य कराया जाये।
3. लेखाकार के 03 पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- को यथावत बनाये रखा जाये।
4. उपर्युक्त उप प्रस्तरों के अनुसार उपलब्ध सहायक लेखाकार के 12 पदों तथा लेखाकार के 03 पदों, कुल 15 पदों को 1 एवं 3 के अनुपात में विभाजित करते हुये सहायक लेखाकार(वेतन बैण्ड -1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) के 04 पद तथा लेखाकार (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-) के 11 पद निर्धारित किये जाते है।
5. सहायक लेखाकार के पदों पर स्नातक (कार्मस) या पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा एण्ड एकाउन्टेंन्सी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेवल डिप्लोमा की अर्हता धारियों में से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।
6. लेखाकार के पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारको में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. के0जी0एम0यू0 लखनऊ में उपलब्ध सहायक कैशियर वेतनमान रू0 3050-4590/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू 1900/- (कनिष्ठ लेखा लिपिक के समकक्ष पद) के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाये। भविष्य में सहायक कैशियर के रूप में नियुक्तियों नहीं की जायेगी।

   मृत संवर्ग घोषित सहायक कैशियर (कनिष्ठ लेखा लिपिक के समकक्ष पद) के उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद का वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- इस शर्त के साथ अनुमन्य कराया जाये कि इन पदधारकों की सहायक कैशियर के रूप में 07 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 10 अक्टूबर, 2011, जो भी बाद में हो, से उन्हें सहायक लेखाकार पदनामित करते हुये वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-

   अनुमन्य करा दिया जाये।

2- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप अनुमन्य होने वाले उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन वेतन में सम्बन्धित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था को समावेश करते हुये सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-449/दस-2015, दिनांक 15 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या-62/2015/1023(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2।
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।